<u>न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश।</u>
<u>वैशाली, हाजीपुर।</u>

जमानत आवेदन सं0–690 / 2026
लालगंज थाना कांड सं0–198 / 2025
धारा– 190, 191(2), 191(3), 126, 115(2), 303(2), 75, 109, 329(3), 333, 352, 351(3) B.N.S.

Web Copy not Official

01.06.2026 दिनांक 02.03.2026 से प्रस्तुत वाद मे काराधीन अभियुक्त चन्दन कुमार उर्फ चन्दन राय की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन पत्र दाखिल किया गया। प्रस्तुत जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर को प्राप्त है। प्रस्तुत वाद में उभय पक्षों को सुना।

संक्षेप में प्रस्तुत वाद की प्राथमिकी इस प्रकार से है कि सूचक राजकुमार राय द्वारा टंकित आवेदन थानाध्यक्ष लालगंज को इस आशय का दिया गया कि "दिनांक 27.04.2025 को समय करीब 10:30 बजे दिन मे मै अपने दरवाजे पर बैठा हुआ था कि चंदन कुमार, रजनीश कुमार, निलेश कुमार, गौतम कुमार, रंजीत कुमार, मोनु कुमार, रघुवंश कुमार लाठी, डंडा, भाला बंदुक लेकर गाली गलौज करते हुए आए तथा मारपीट करने लगे मेरे घर के परिवार के सदस्य बचाने आये तो येलोग उनहे भी लाठी, डंडा एवं लात मुक्का से मारपीट करने लगा। चंदन कुमार मेरी पत्नी के कान से सोने का झुमका एवं रजनीश कुमार मेरी मॉ के सोने का चैन जबदस्ती छीन लिया, प्रशांत कुमार का मोबाईल रजनीश कुमार जबरदस्ती छिन लिया। गॉव के लोग जुटने लगे तो धमकी देते हुए भाग गया, वेलोग जल्दबाजी मे अपना मोटरसाईकिल आरवन–5 और स्पलेण्डर प्लस छोड़ कर चले गये।"

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि आवेदक द्वारा पूर्व मे इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय मे कोई जमानत आवेदन प्रस्तुत प्राथमिकी के संदर्भ मे दाखिल नही किया है। आवेदक का घटना स्थल मे कोई संलिप्तता नही है। घटना के समय आवेदक घटना स्थल पर उपस्थित नही था और प्राथमिकी मे भी आवेदक के विरूद्ध कोई गंभीर आरोप नही लगाया गया है। इस वाद के सह अभियुक्तो को इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान किया गया है। आवेदक का दो पूर्व अपराधिक इतिहास है। आवेदक को प्रस्तुत वाद मे दिनांक 02.03.2026 को रिमाण्ड

जमानत आवेदन सं0–690 / 2026

लालगंज थाना कांड सं0–198 / 2025

दिनांक
01.06.2026

किया गया है तब से काराधीन है। आगे विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदक को जमानत देने हेतु अनुरोध किया गया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

जमानत आवेदन पर उभय पक्षो को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि कथिक जख्मी मे से किसी ने कोई भी सरकारी अस्पताल मे ईलाज नही कराया था जिसके कारण कोई जख्म रिपोर्ट भी प्रस्तुत नही है। अन्य सह अभियुक्तो को अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया है। आवेदक प्रस्तुत वाद मे काराधीन है। अतः उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो के आलोक मे आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाता है। आवेदक की ओर से 10,000 (दस हजार) रूपये का दो जमानतदार का बंधपत्र दाखिल किए जाने पर जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

-Sd-
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–
–सह–विशेष न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web Copy not Official

Date of Judgment/Order	01-06-2026
Date of Reserving Judgment/Order	01-06-2026
Uploading Date	04-06-2026
Uploaded by	Pankaj Kumar, D.W.T.C., Vaishali.

Web Copy not Official